UPBG040012532026

न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत

पीठासीन अधिकारी- (श्री रत्नम् श्रीवास्तव) - उ०प्र० न्यायिक सेवा - UP02095

बेल अप्लीकेशन/529/2026

प्रमोद बनाम राज्य

मु०अ०सं०-65/2026

धारा-281, 125(b), 106(1) भारतीय न्याय संहिता

थाना -बागपत, जिला बागपत

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

दिनांक : 10.02.2026

अभियुक्त **प्रमोद कुमार पुत्र मलखान** की ओर से मु०अ०सं०-65/2026 धारा-281, 125(b), 106(1) भारतीय न्याय संहिता थाना -बागपत, जिला बागपत में द्वारा अधिवक्ता जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अभियुक्त का कथन है कि मामले मे उसे झूठा फँसाया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। अतः जमानत दे दी जाये।

अभियोजन अधिकारी द्वारा अपराध जमानतीय बताया गया है।

सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा-281, 125(b), 106(1) भारतीय न्याय संहिता का अभियोग लगाया गया है। अभियुक्त द्वारा स्वयं न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। आरोपित अपराध जमानतीय प्रकृति का है। अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होने के लिए तैयार है। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने के आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त **प्रमोद कुमार पुत्र मलखान** की ओर से मु०अ०सं०-65/2026 धारा-281, 125(b), 106(1) भारतीय न्याय संहिता थाना -बागपत, जिला बागपत में अंकन 25000/- रूपये का निजी बंधपत्र एवं समान धनराशि का 01 प्रतिभू दाखिल किये जाने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(रत्नम् श्रीवास्तव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बागपत